आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ7(4) प्रवेशनीति/अकाद/आकाशि/2022/पार्ट/ 631 दिनांकः 25 जुलाई, 2022

:: कार्यालय आदेश ::

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अति पिछडा वर्ग (MBC)के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था।

अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवीन आरक्षण प्रावधानों के मद्दे नजर सभी संकायों में स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि करते हुए कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय में सीटों की संख्या 88 की जाती है। प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बढी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा।

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में सभी संकायों में वर्तमान सत्र 2022–23 में सीट मैट्रिक्स निम्नानुसार रहेगी –

संकाय/वर्ग	कुल संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अति पिछडा वर्ग	EWS
कला/वाणिज्य	100	36	16	12	21	05	10
विज्ञान	88	34	14	10	18	04	08

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रकिया में उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।
नोट :– यह सीट मैट्रिक्स सांकेतिक है। सीट मैट्रिक्स का निर्धारण महाविद्यालय में संधारित रोस्टर रजिस्टर के अनुसार किया जाए। **यह अभिवृद्धि केवल सत्र 2022–23 के लिए मान्य होगी।**

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड/ई–मेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

25.7.2022
(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)